राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 773/2007

ग्यारसी लाल (मृत्तक) **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, ए–रीजन, मोतीडूंगरी पुलिस थाना के पास, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.04.2007
आदेश की दिनांक : 25.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा जाहिर किया गया कि अपीलार्थी का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलार्थी (मृत्तक) के विद्वान् अधिवक्ता को अनेको बार विधिक प्रतिनिधि (LR) बनाने हेतु उनके नामों का एवं विधिक प्रतिनिधि (LR) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया, परंतु अपीलार्थी (मृत्तक) के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अनेको बार समय चाहने के बावजूद न तो कोई विधिक प्रतिनिधि (LR) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही उनके नामों का उल्लेख किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी (मृत्तक) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी (मृत्तक) के कोई विधिक प्रतिनिधि (LR) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्तमान प्रकरण/अपील अवेट खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य